



न्यायालय माननीय म०प्र० राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर, म०प्र०

प्र०क्र०:- /नि०-16

दिनांक - 17.07-2016

- 01 श्रीमती अनिता पति सत्यनारायण
निवासी नाकोड़ा नगर मंदसौर
- 02 श्रीमती सारिका पति संदीप
पहाड़ियां निवासी हाऊसिंग बोर्ड
कालोनी मंदसौर.....आवेदकगण

विरुद्ध

- 01 म०प्र० शासन
- 02 पटवारी कस्बा मंदसौर
- 03 ऋतुबाला पिता नन्दकिशोर
अग्रवाल निवासी मंदसौर
- 04 मनीष पिता भंवरलाल जैन
निवासी नई आबादी मंदसौर
- 05 बशीर मोहम्मद पिता नूर
मोहम्मद निवासी मंदसौर - मृत
- 06 कुलसुमबाई पति ताज मोहम्मद
निवासी मंदसौर.....अनावेदकगण

// पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०मू०रा०सं०//

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त
महोदय, उज्जैन सम्भाग उज्जैन के प्र०क्र०
37/अ/08-09 में आदेश दिनांक 01.04.
2016 एवं अपर कलेक्टर महोदय, मंदसौर के
प्रकरण क्रमांक 15/अपील-07-08 में आदेश
दिनांक 29.08.2008 तथा एसडीओ मंदसौर
के प्रकरण क्रमांक 35/अ-1/05-06 दिनांक
30.11.2016 के विरुद्ध।

माननीय महोदय,

1. यह कि, अधीनस्थ तीनों न्यायालय के आदेश विधि-विधान एवं रिकार्ड
के विपरीत होने से निरस्ती योग्य हैं।

निरंतर..02

श्री. राजेश-सिंह
द्वारा आज दि. 31.5.16
प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म० ग्वालियर

31.5.16

31.5.16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1707-पीबीआर/2016

जिला मंदसौर

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारी एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

14-09-2016

आवेदक अधिवक्ता श्री के०के०द्विवेदी उपस्थित ।
अनावेदक शासन की ओर से श्री राजीव गौतम पेनल
लॉयर उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया
गया कि इस न्यायालय में यह निगरानी त्रुटिपूर्ण प्रस्तुत
कर दी गई है, अतः सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु
वापिस की जाये। प्रकरण आवेदक के निवेदन पर सक्षम
न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है ।

अध्यक्ष